राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

69वीं बैठक दिनांक 14 जून, 2019 की कार्य सूची (एजेण्डा)

68वीं बैठक के कार्य बिंदुओं की पुष्टि।

एजेण्डा संख्या - 1 : नीतिगत विषय	(क) पिरुल नीति (ख) मॉडल भूमि पट्टे पर अधिनियम 2016 (ग) कान्ट्रेक्ट फार्मिंग
एजेण्डा संख्या - 2 : वित्तीय समावेशन - बैंकिंग नेटवर्क एवं वित्तीय साक्षरता	(क) बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (Business Correspondent) (ख) वी.-सैट की स्थापना (ग) वित्तीय साक्षरता कैम्प
एजेण्डा संख्या - 3 : बैंकों द्वारा ऋण वितरण	(क) वार्षिक ऋण योजना एवं प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण उपलब्धि (ख) सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाएं (ग) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई (MSME) (घ) किसान क्रेडिट कार्ड योजना (ङ) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
एजेण्डा संख्या - 4 : ऋण-जमा अनुपात	40% से कम ऋण-जमा अनुपात वाले जिलों पर चर्चा
एजेण्डा संख्या - 5 : कौशल विकास मिशन	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की गतिविधियों की समीक्षा
एजेण्डा संख्या - 6 : गैर-निष्पादित अस्तियाँ (एन.पी.ए.)	सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं के अंतर्गत एन.पी.ए. खातों का विवरण तथा वसूली प्रमाण पत्रों के सापेक्ष वसूली की समीक्षा
एजेण्डा संख्या - 7: कृषि - अनुषंगी गतिविधियों में ऋण वितरण प्रगति	किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से कृषि अनुषंगी गतिविधियों में ऋण वितरण प्रगति
एजेण्डा संख्या - 8 : केंद्र / राज्य सरकार की नीति	उद्योग नीति, एम.एस.एम.ई., कृषि नीति गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण वितरण की प्रगति समीक्षा
एजेण्डा संख्या - 9 : डीसीसी / डीएलआरसी बैठक	जिला स्तरीय बिंदुओं के समाधान हेतु समीक्षा
एजेण्डा संख्या - 10 : एस.एल.बी.सी. ऑकड़े	सभी वित्तीय संस्थानों द्वारा वास्तविक एवं सही एस.एल.बी.सी. आँकड़ों का समय पर प्रेषण सुनिश्चित करना
एजेण्डा संख्या - 11 : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।	

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

69वीं बैठक दिनांक 14 जून, 2019 की कार्य सूची (एजेण्डा)

68वीं बैठक के कार्य बिंदुओं की पुष्टि :

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 68वीं बैठक दिनांक 25 फरवरी, 2019 के कार्य बिंदुओं पर संबंधित विभागों एवं बैंकों द्वारा की गयी कार्रवाई से एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड को अवगत कराया गया है, जिनकी पुष्टि निम्नलिखित उप-समितियों की बैठक में सभी सदस्यों की सहमति से मान ली गयी है।

1. समाज कल्याण बैंकर्स स्थायी समिति बैठक **दिनांक 08 मई, 2019**
2. अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति बैठक **दिनांक 08 मई, 2019**
3. ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति बैठक **दिनांक 10 मई, 2019**
4. बैंकरहित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन **(Financial Inclusion)** हेतु गठित राज्य स्तरीय उप-समिति की बैठक **दिनांक 13 मई, 2019**

एजेण्डा संख्या - 1 नीतिगत विषय :

(क) उत्तराखंड सरकार द्वारा **पिरुल नीति** घोषित की गयी है, जिसके अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों में पिरुल का संग्रहण कर विद्युत उत्पादन एवं ब्रिकेटिंग इकाई हेतु इसका उपयोग किया जा सकता है। पिरुल नीति से पहाड़ी क्षेत्र में विशेषकर महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सभी बैंकों को इस विषयक नीति निर्देश आर्थिक व्यवहार्यता के अनुरुप वित्तपोषण की संभाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है। दिनांक 28 मई, 2019 को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति सब-स्टेयरिंग कमेटी की बैठक में सभी प्रमुख मुख्य बैंकों से पुन: अनुरोध किया गया है। साथ ही CGTMSE के निर्देशों के आलोक में संपार्श्विक प्रतिभूति रहित ऋण (Collateral Free Loan) स्वीकृत किए जाने हेतु सूचित किया गया है।

(ख) मॉडल भूमि पट्टे पर अधिनियम 2016 (Model Land leasing Act) :

केंद्र सरकार के मॉडल भूमि पट्टे पर अधिनियम 2016 के आधार पर उत्तराखंड राज्य द्वारा मॉडल भूमि पट्टे पर अधिनियम बनाए जाने के परिप्रेक्ष्य में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 68वीं बैठक दिनांक 25 फरवरी, 2019 में चर्चा की गयी थी।

तत्पश्चात अपर सचिव (राजस्व), उत्तराखंड शासन द्वारा जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक 2016 (छायाप्रति) उपलब्ध कराते हुए यह अपेक्षा की गयी थी कि उत्तराखंड सरकार द्वारा केंद्र सरकार के मॉडल भूमि पट्टे पर अधिनियम 2016 में निहित अधिसूचना को ही उत्तराखंड राज्य में मॉडल भूमि पट्टे पर अधिनियम माना जाए।

इस संबंध में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अपने पत्रांक प्रशा.का./एस.एल.बी.सी./3892 दिनांक 28 फरवरी, 2019 के द्वारा राजस्व विभाग उत्तराखंड से अनुरोध किया गया था कि उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2016 मे केंद्र सरकार के मॉडल भूमि पट्टे पर अधिनियम ड्राफ्ट में निर्देशित बिंदुओं को समाहित किए जाने विषयक पुष्टि इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे, जिससे कि इस विषय को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की बैठक में अद्यतन हेतु सदन के पटल पर रखा जा सके। संबंधित पुष्टि अभी प्रतीक्षित है।

(ग) <u>कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग (Contract Farming)</u> :

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 68वीं बैठक दिनांक 25 फरवरी, 2019 में कान्ट्रैक्ट फार्मिंग के विषय में उत्तराखंड शासन, कृषि एवं विपणन अनुभाग - 2 के पत्रांक 964/**XIII-II**/40(1)/2014 देहरादून दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 के माध्यम से उत्तराखंड कृषि उत्पादन मण्डी संविदा कृषि - कर्म (विकास एवं विनियम) नियमावली (2016) द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबधित नियम एवं अधिनियम उपलब्ध करवा दी गयी है, जो कि सदन के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

एजेण्डा संख्या - 2 <u>वित्तीय समावेशन - बैंकिंग नेटवर्क एवं वित्तीय साक्षरता</u> :

(क) <u>बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (Business Correspondent)</u> :

भारतीय रिजर्व बैंक के रोडमैप के अनुसार 2000 से कम की आबादी वाले गाँवों में बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए **2149** क्लस्टर / एस.एस.ए. बैंकों को आबंटित किए गए थे।

चयनित **2149** क्लस्टर / एस.एस.ए. में से सितम्बर, 2018 में लम्बित **642** एस.एस.ए. के सापेक्ष मार्च, 2019 तक **302** एस.एस.ए. में बी.सी. नियुक्त करने की प्रगति दर्ज की गयी है। लम्बित एस.एस.ए. का विवरण निम्नवत है :

Name of Bank	Pending SSAs where B.C. has to be appointed	Name of Bank	Pending SSAs where B.C. has to be appointed	Total Pending SSAs
State Bank of India Dehradun Module -79 Haldwani Module - 168	247	Bank of India	04	
		Syndicate Bank	00	
		Vijaya Bank	00	
Punjab National Bank	56	Corporation Bank	07	
Bank of Baroda	13	Bank of Maharashtra	01	
Oriental Bank of Commerce	00	Dena Bank	00	
Union Bank of India	01	Uttarakhand Gramin Bank	01	
Canara Bank	00	Co-operative Bank	00	
Central Bank of India	00	Nainital Bank	07	
Punjab and Sind Bank	02	UCO Bank	00	
Allahabad Bank	01	Indian Overseas Bank	00	
Total	**320**		**20**	**340**

इस विषय में सदन को यह भी अवगत कराना है कि **Circle, SPOC** उत्तराखंड से प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में **2256** पोस्ट ऑफिस / सब-पोस्ट ऑफिस को इण्डियन पोस्ट पेमेंट बैंक के रुप में **roll out** किए जा चुके हैं तथा बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा इनकी समीक्षा करने के उपरांत यह पाया गया कि लम्बित **340** एस.एस.ए. में एस.एस.ए. सेन्टर अथवा संबंधित गाँवों में **132** स्थानों पर इण्डियन पोस्ट पेमेंट बैंक कार्यरत हैं व बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। अत: सदन की अनुमति हो तो **132** एस.एस.ए. को इण्डियन पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से बैंकिंग सुविधाओं के लिए संतृप्त माना जा सकता है।

(ख) <u>वी.-सैट की स्थापना</u> :

कनेक्टिविटी रहित **1181 SSAs** में से वित्तीय वर्ष 2018-19 में मार्च, 2019 त्रैमास की समाप्ति तक **550** वी.-सैट लगाए गए हैं तथा **592** स्थानों पर वैकल्पिक कनेक्टिविटी होना अवगत कराया गया है। पिछले त्रैमास में वी.-सैट लगाने हेतु **70** लम्बित स्थानों के सापेक्ष वर्तमान में **31** स्थानों पर प्रगति दर्ज कर मार्च, 2019 को **39** वी.सैट लगाए जाने अभी लम्बित हैं।

वी.-सैट स्थापित किए जाने वाले अवशेष SSAs की स्थिति निम्नवत है :

क्र.सं.	**बैंक का नाम**	**वी.-सैट स्थापित किए जा चुके एस.एस.ए. की संख्या**	**वी.-सैट स्थापित किए जाने वाले अवशेष एस.एस.ए. की संख्या**
1.	देहरादून अंचल हल्द्वानी अंचल भारतीय स्टेट बैंक	96 133 **229**	06 28 **34**
2.	पंजाब नेशनल बैंक	03	00
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	25	02
4.	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	20	01
5.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	05	00
6.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	02	00
7.	बैंक ऑफ इण्डिया	07	02
8.	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	249	00
9.	नैनीताल बैंक	10	00
कुल योग		**550**	**39**

नाबार्ड द्वारा वी.-सैट स्थापना पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019, सुनिश्चित की गयी थी। सी. एस. पी. (CSP) नही मिल पाने के कारण अभी भी 39 स्थानो पर वी-सैट स्थापित किये जाने लम्बित हैं तथा इन एस.एस.ए. में बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। अत: 39 स्थानो पर वी-सैट स्थापित करने हेतु नाबार्ड द्वारा तय कालातीत समय सीमा को आगे बढाने के विषय में, बैंक नाबार्ड से वांछित सहयोग का अनुरोध करते हैं।

(ग) <u>वित्तीय साक्षरता कैम्प</u> :

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार 03 जून, 2019 से 07 जून, 2019 तक **Financial Education for Farmers** विषय **(theme)** पर एक विशेष वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसमें कृषि व संबंधित गतिविधियों के लिए बैंक ऋण के लाभ, ब्याज आर्थिक सहायता, बैंक ऋण की समय पर अदायगी एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा तथा डिजीटल बैंकिंग का प्रचार-प्रसार किया गया, जिससे कृषकों की आर्थिकी में अपेक्षित सकारात्मक सुधार लाया जा सके।

इसके अतिरिक्त वित्तीय साक्षरता कैम्प के माध्यम से डी.बी.टी. के संदर्भ में जनसाधारण को जागरुक करने का कार्य अग्रणी जिला प्रबंधकों, ग्रामीण शाखाओं, वित्तीय साक्षरता केंद्रों, राज्य के 13 आरसेटी संस्थानों तथा राष्ट्रीय

ग्रामीण आजीविका मिशन केंद्रों द्वारा भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। नाबार्ड द्वारा प्रत्येक एफ.एल.सी. कैम्प के लिए प्रति कैम्प अधिकतम ₹ 5000/- की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। अत: सभी बैंक अपनी शाखाओं को नाबार्ड द्वारा की जाने वाली प्रतिपूर्ति दावा का लाभ उठाने हेतु निर्देशित करें।

वित्तीय साक्षरता कैम्प का विवरण निम्नवत है :

त्रैमास	जनसाधारण हेतु कैम्प की संख्या	स्वयं सहायता समूह हेतु कैम्प की संख्या	कुल कैम्प की संख्या
जनवरी-मार्च, 2019	1916	822	2738
अप्रैल, 2018-मार्च, 2019	**6236**	**3663**	**9899**

एजेण्डा संख्या - 3 <u>बैंकों द्वारा ऋण वितरण</u>

(क) <u>वार्षिक ऋण योजना एवं प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण उपलब्धि</u> : **" SLBC - 3 "**

वित्तीय वर्ष 2018-19 में वार्षिक ऋण योजना के वार्षिक लक्ष्य **₹ 20025.54 करोड़** के सापेक्ष बैंकों द्वारा **₹ 16915.07 करोड़** की प्रगति दर्ज की गयी है, जो कि वार्षिक लक्ष्य का **84%** है।

(₹ करोड़ों में)

मद	वार्षिक लक्ष्य 2018-19	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत
फसली ऋण	7037.05	4952.00	70%
सावधि ऋण	3643.46	2237.14	61%
फार्म सेक्टर (कुल)	**10680.51**	**7189.14**	**67%**
नॉन-फार्म सेक्टर	6102.48	6787.38	111%
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	3242.54	2938.55	91%
कुल योग	**20025.54**	**16915.07**	**84%**

<u>वार्षिक ऋण योजना 2019-20</u> :

राज्य के सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2019-20 की वार्षिक ऋण योजना के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा समीक्षा उपरांत क्षेत्रवार / सेक्टरवार लक्ष्य आबंटित किए गए हैं।

हम अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करते हैं कि वार्षिक ऋण योजना 2019-20 की पुस्तिका का विमोचन करने की कृपा करें।

(₹ In Crore)

ACP 2019-20	Crop Loan	Term Loan	Farm Sector	Non Farm Sector	Other priority Sector	Total Priority Sector
Target	6806	3579	10385	8031	3595	22011

(ख) <u>सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाएं</u>

एन.यू.एल.एम., एन.आर.एल.एम., वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना एवं समाज कल्याण योजनाओं की वास्तविक स्थिति एवं प्रभावी त्वरित निस्तारण की अनुवर्ती कार्यवाही हेतु ऑन-लाइन पोर्टल बनाया जाना लम्बित है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 की समाप्ति तक योजनावार प्रगति निम्नवत है :

(i) <u>राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन व्यक्तिगत (NULM INDIVIDUALS)</u> : " SLBC - 16 एवं 16 A "

(₹ लाखों में)

भौतिक वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र
1182	1894	995	967	1261.81	899

(ii) <u>राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन समूह (NULM GROUPS)</u> : " SLBC - 17 एवं 17 A "

(₹ लाखों में)

भौतिक वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र
18	**83**	**36**	**28**	**46.85**	**47**

(iii) <u>राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)</u> : " SLBC - 18 "

(₹ लाखों में)

भौतिक वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	स्वीकृत राशि	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र
5641	5435	3944	3798.00	3261	2769	1491

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु यू.एस.आर.एल.एम., उत्तराखण्ड द्वारा प्रेषित भौतिक वार्षिक लक्ष्य 7,610 सदन के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

(iv) <u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (PMEGP)</u> : " SLBC - 7 "

प्रधानमंत्री रोजगार सजृन कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य में ₹ **29.45 करोड़** से संशोधित बढ़े हुए लक्ष्य ₹ 34.75 करोड़ के सापेक्ष ₹ **39.63 करोड़** (114%) की प्रगति दर्ज की गयी है।

उपरोक्त योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 की समाप्ति तक निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत है :

(₹ लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त आवेदन पत्र	अनुदान वितरण का लक्ष्य	अनुदान वितरण राशि
DIC – 476	3444	1991	1173	7943	1453	1190.16	2065.24
KVIC – 357	862	549	319	2889	313	892.62	751.21
KVIB – 357	1504	1001	600	4411	503	892.62	1146.90
Total - 1190	**5810**	**3541**	**2092**	**15243**	**2269**	**2975.40**	**3963.35**

खादी एवं ग्रोमोद्योग आयोग के पत्र संख्या राकादे/पीएमईजीपी/ओल्ड पेंडिंग क्लेम/2019-20/624 दिनांक 24 अप्रैल, 2019 द्वारा सूचित किया गया था कि बैंक शाखाओं में 01 जुलाई, 2016 से पूर्व के जो भी मार्जिन मनी अनुदान दावा नोडल बैंक या वित्तीय बैंकों के पास क्लेम लम्बित हैं, उनके मार्जिन मनी क्लेम आवश्यक दस्तावेज व निर्धारित प्रमाण पत्र 31 मई, 2019 तक खादी एवं ग्रोमोद्योग कार्यालय को अवश्य प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिसकी पुष्टि बैंकों से अपेक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु खादी एवं ग्रोमोद्योग आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रेषित मार्जिन मनी का लक्ष्य ` **39.53 करोड़** सदन के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

(v) <u>वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना</u> : " SLBC - 9 "

पर्यटन विभाग से अनुरोध है कि वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के आवेदन पत्रों के ऑन-लाइन प्रेषण एवं मॉनिटरिंग हेतु सॉफ्टवेयर बनाने विषयक हुई प्रगति से सदन को अवगत कराएं।

बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत है : **(` लाखों में)**

वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र
वाहन - 200	221	166	164	1656.00	55
गैर-वाहन - 200	138	49	42	806.00	89
कुल योग - 400	**359**	**215**	**206**	**2462.00**	**144**

वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजनांतर्गत गैर-वाहन मद में शामिल की गयी सभी नयी गतिविधियों विषयक शासनादेश संख्या **VI(1)/2018-19**(पर्यटन)/2001 दिनांक 27 नवम्बर, 2018 की छायाप्रति सभी बैंकों को प्रेषित कर दी गयी है।

(vi) <u>दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना (पर्यटन विभाग)</u> : " SLBC - 11 "

योजनांतर्गत 31 मार्च, 2019 तक की प्रगति निम्नवत है : **(` लाखों में)**

वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र
2000	252	39	22	328	213

दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना (संशोधित) अधिसूचना के क्रम संख्या - 5 में दर्शित 4(3) नियम 4 के संशोधन, जिसमें वर्णित है कि गृह आवास / होम स्टे स्थापित किए जाने हेतु बैंक ऋण आवेदन की दशा में भू-उपयोग परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता होगी। चूँकि इस योजना में नये भवन निर्माण / आंशिक पुनर्निर्माण / मरम्मत एवं साज-सज्जा आदि के लिए भी ऋण का प्रावधान किया गया है। अत: कई प्रकरणों में कदाचित भू उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी। इस स्थिति के अंतर्गत बैंक नियंत्रकों द्वारा अधिक स्पष्टीकरण की अपेक्षा की गयी थी, जिसके संदर्भ में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा पत्र संख्या प्रशा.का./एस.एल.बी.सी./13, दिनांक 08 अप्रैल 2019 द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद को होम स्टे विकास योजना (प्रथम संशोधन) नियमावली 2018 में स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध किया गया है। चूँकि इस योजना में बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत / वितरण का कार्य प्रक्रियाधीन है, अत: उपरोक्त बिंदुओं पर शीघ्र दिशानिर्देश / स्पष्टीकरण प्रदान कर दिए जाने पर योजनांतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति पर त्वरित कार्यवाही व्यवहार्य होगी।

(vii) प्रधानमंत्री आवास योजना - (Credit Link Subsidy Scheme) : **" SLBC - 48 "**

(₹ लाखों में)

लक्ष्य	ग्राहकों से सीधे बैंकों को प्राप्त आवेदन पत्र / शाखा स्तर पर स्वीकृत		विभाग द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र				सकल स्वीकृत	
			प्राप्त	स्वीकृत		निरस्त / वापिस		
संख्या	संख्या	**राशि**	संख्या	संख्या	राशि	संख्या	**संख्या**	**राशि**
2000	1618	23457.48	563	145	962.41	418	1763	24419.89

बैंकों के अतिरिक्त हाऊसिंग फाइनेन्सिंग कंपनी द्वारा भी **2782** ऋण आवेदन पत्रों में **₹ 42089.70 लाख** के ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें अनुदान राशि **₹ 5736.60 लाख** है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत संबंधित नोडल एजेन्सियों द्वारा वितरित अनुदान का विवरण निम्न है :

(₹ लाखों में)

नोडल एजेन्सी	स्वीकृत ऋण आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	वितरित अनुदान राशि
एन.एच.बी.	466	7763.80	970.40
हुडको	192	---	401.99
योग	**658**	**7763.80**	**1372.39**

(viii) स्टैण्ड अप इण्डिया : **" SLBC - 44 "**

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बैंक शाखा हेतु कम से कम एक महिला एवं एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति को स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु **न्यूनतम** ₹ **10 लाख से अधिकतम** ₹ **100 लाख** तक के ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त के संदर्भ में सदन को अवगत कराना है कि राज्य सहकारी बैंक लि. की **289** बैंक शाखाएं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक श्रेणी में न होने के कारण स्टैण्ड अप इण्डिया में वित्तपोषण करने हेतु अधिकृत नहीं हैं तथा राज्य में **1131** ग्रामीण शाखाएं कार्यरत हैं, जिसमें से अधिकांश दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं, जहाँ पर **₹ 10 लाख** से **₹ 1 करोड़** राशि के ऋण / औद्योगिक गतिविधियों की मांग नगण्य होने के कारण अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। उपरोक्त स्थिति में मूल रुप से शहरी एवं अर्धशहरी **1096** शाखाएं ही ऋण वितरण करने में सक्षम हैं।

वित्तीय वर्ष 2018-19 की समाप्ति तक बैंकों द्वारा योजनांतर्गत निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी हैं :

(₹ करोड़ में)

मद	लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2018-19 31 मार्च, 2019 तक की प्रगति			योजना के आरम्भ (05.04.2016) से वर्तमान त्रैमास तक की प्रगति	
		आवेदन प्राप्त	आवेदन स्वीकृत	स्वीकृत राशि	कुल ऋण वितरित आवेदन	कुल वितरित ऋण राशि
महिला	1096	329	329	75.00	1187	266.00
अनुसूचित जाति / जनजाति	1096	77	77	17.00	261	49.00
योग	**2192**	**406**	**406**	**92.00**	**1448**	**315.00**

(ix) <u>प्रधानमंत्री मुद्रा (MUDRA) ऋण योजना</u> : **" SLBC - 28 "**

वित्तीय वर्ष 2018-19 की समाप्ति तक सभी बैंकों द्वारा "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना" के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों के सापेक्ष निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी हैं :

(₹ करोड़ में)

योजना	ऋण राशि सीमा	मार्च, 2018				मार्च, 2019			
		निर्धारित लक्ष्य राशि	वितरित ऋण संख्या	स्वीकृत ऋण राशि	%	निर्धारित लक्ष्य राशि	वितरित ऋण संख्या	स्वीकृत ऋण राशि	%
शिशु	₹ 50000 तक के ऋण (ओवरड्राफ्ट राशि सम्मिलित)	192.93	64702	212.96	110	177.92	118481	345.51	194
किशोर	₹ 50,001 से ₹ 5 लाख	848.64	37758	717.45	85	840.14	52532	1042.26	124
तरूण	₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख	854.65	6665	498.66	58	906.78	11066	899.70	99
कुल संख्या एवं ऋण राशि		**1896.22**	**109125**	**1429.07**	**75**	**1924.84**	**182079**	**2287.47**	**119**

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 की समाप्ति तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजनांतर्गत निर्धारित लक्ष्य **₹ 1924.84 करोड़** के सापेक्ष **₹ 2287.47 करोड़** के ऋण **1,82,079** लाभार्थियों को स्वीकृत किए गए हैं, जो कि वार्षिक लक्ष्य का **119%** है।

(x) <u>स्पेशल कम्पोनेंट प्लान</u> : **" SLBC - 15 "**

(₹ लाखों में)

योजना	वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित / प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	वितरित आवेदन	बैंक ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र
अनुसूचित जाति	1459	1656	1272	1246	768.00	384
अनुसूचित जनजाति	100	161	79	76	45.00	82
अल्पसंख्यक समुदाय	454	278	107	80	234.00	**171**
कुल	**2013**	**2095**	**1458**	**1402**	**1047.00**	**637**

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा संबंधित बैंक नियंत्रकों को पूर्व में पत्र द्वारा निर्देशित किया गया था कि वे शाखाओं में 31 मार्च, 2019 तक सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं में लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें तथा ऐसे सभी आवेदन पत्र जिन पर ऋण वितरण की कार्यवाही संभव है, लेकिन निस्तारित नहीं हो पाए हैं, के संदर्भ में उन्हें नये वित्तीय वर्ष में निस्तारित करने हेतु विभाग की पुन: अनुशंसा प्राप्त कर लें।

(ग) <u>सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई (MSME)</u> **" SLBC - 27 "**

वार्षिक लक्ष्य **₹ 6102.48 करोड़** के सापेक्ष **₹ 6787.38 करोड़** की प्रगति दर्ज की गयी है, जो लक्ष्य का **111**% है। इकाइयों को सेक्टरवार वितरित ऋणों की **outstanding** निम्नवत है :

(कुल प्रदत्त राशि, ₹ करोड़ में)

सूक्ष्म इकाई		लघु इकाई		मध्यम इकाई		कुल ऋण राशि		कुल योग
विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	एम.एस.एम.ई.
1582	3692	2373	5538	1658	1462	5613	10691	16304

(घ) <u>किसान क्रेडिट कार्ड योजना ;</u> **" SLBC - 5 "**

(₹ करोड़ों में)

वर्ष 2018-19 के.सी.सी. लक्ष्य	01.04.2018 से 31.03.2019 तक जारी कार्ड (नये एवं नवीनीकृत)	लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत	कुल जारी किए गए कार्ड की संख्या	31.03.2019 तक वितरित राशि
1,00,000	3,13,170	**313%**	5,24,668	8232.16

(ङ) <u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना</u> :

वर्ष 2018-19 में फसल बीमा योजना की प्रगति निम्नानुसार रही है।

(₹ In Lakhs)

Scheme	Season	Farmer insured	Sum insured	Farmer Premium
PMFBY	Kharif 2018	81747	37197.70	432.58
PMFBY	Rabi 2018-19	43159	21928.68	328.93
RWBCIS (मौसम आधारित)	Kharif 2018	38136	16076.27	803.81
RWBCIS (मौसम आधारित)	Rabi 2018-19	9116	5337.56	266.88
Total Loanee farmers		**172158**	**80540.21**	**1832.2**
Non Loanee farmers		18996	5422.80	254.15
Grand Total		**191154**	**85963.01**	**2086.35**

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना / मौसम आधारित फसल बीमा योजना - खरीफ 2018 एवं रबी - 2018-19 के अंतर्गत संसूचित फसलें यथा धान, मण्डुवा, आलू, अदरक, टमाटर, फ्रासबिन एवं मिर्च के लिए निर्धारित समयावधि के अनुसार माह मार्च, 2019 तक लगभग **1,91,154** कृषकों को बीमा से आच्छादित किया जाना सूचित किया गया है।

फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत 31.03.2019 तक की प्रगति एवं क्लेम वितरण **" SLBC - 22 & 23 "**

(₹ लाखों में)

योजना	अधिसूचित फसली ऋण का बीमा	बीमित कृषकों की संख्या	प्राप्त प्रीमियम राशि	क्लेम वितरित राशि	लाभान्वित कृषकों की संख्या
PMFBY	59126.37	124906	761.51	972.89	36150
RWBCIS	21413.82	47252	1070.69	6737.43	78565
Total	**80540.19**	**172158**	**1832.2**	**7710.32**	**114715**

फसल बीमा योजना के अंतर्गत मार्च, 2019 तक **1,40,500** किसानों को **₹ 86.60 करोड़** का फसली क्लेम वितरण करना, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लि. द्वारा सूचित किया गया है।

खरीफ 2019 के संबंध में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना से संबंधित अधिसूचना जारी की गयी है।

फसल बीमा योजना	फसलों का प्रकार	शासनादेश संख्या	बीमा करने के अंतिम तिथि	क्रियान्वयक अभिकरण	बैंकों द्वारा पोर्टल पर डाटा अपलोड करने की अंतिम तिथि
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	चावल व रागी फसलें	562/XIII-1/2019-01(3)/2002 दिनांक 19.03.2019	दिनांक 15.07.2019	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी	दिनांक **31.07.2019**
पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा	टमाटर, आलू, अदरक, मिर्च, फ्रेंचबीन्स	401/XVI-1/19/9(39)/103/03 दिनांक 04.04.2019	दिनांक 31.05.2019 तक अनुमोदित / स्वीकृत ऋण सीमा	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी एवं ओरियण्टल इंश्योरेंस कंपनी	दिनांक **15.06.2019**

समस्त बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वे सभी ऋण खातों को अनिवार्य रुप से शत प्रतिशत बीमित करवाना सुनिश्चित करें, ऐसा न करने पर संबंधित शाखा प्रबंधक की व्यक्तिगत जबावदेही होगी।

एजेण्डा संख्या - 4 : <u>ऋण-जमा अनुपात</u>

वित्तीय वर्ष 2018-19 की समाप्ति तक ऋण-जमा अनुपात **60%** रहा है।

निम्न जिलों का ऋण-जमा अनुपात **40 प्रतिशत** से कम है : **" SLBC - 01 "**

जिला	बैंक शाखाओं की संख्या	मार्च, 2019
रुद्रप्रयाग	54	26%
टिहरी	134	38%
पौड़ी	198	25%
अल्मोड़ा	146	25%
बागेश्वर	51	30%
चम्पावत	58	30%

संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधक इस विषय पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय ऋण-जमा अनुपात उप समिति में विभिन्न रेखीय विभागों, नाबार्ड एवं बैंकों के सहयोग से क्षेत्र विशेष की सम्भाव्यता के आधार पर ऋण वितरण की उपयुक्त कार्ययोजना बना कर उसे क्रियान्वित करवाना सुनिश्चित करें एवं सभी लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण कराएं, जिससे कि वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत आबंटित लक्ष्यों की प्रगति के साथ-साथ ऋण-जमा अनुपात में भी अपेक्षित वृद्धि दर्ज की जा सके।

एजेण्डा संख्या - 5 : <u>कौशल विकास मिशन</u>

<u>ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI)</u> :

वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत उत्तराखंड राज्य में कार्यरत 13 आरसेटी संस्थानों द्वारा **262** प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा **6899** अभ्यर्थियों को वांछित रोजगारपरक क्रियाकलापों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष **257** प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत **6833** अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

स्टेट डायरेक्टर, आरसेटी संस्थान से प्रदत्त सूचना के अनुरुप आरसेटी संस्थानों द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं कार्य आरम्भ करने से अब तक दिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण निम्नवत है :

विवरण	कुल आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	कुल प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	रोजगार / स्वरोजगार प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कुल प्रशिक्षणार्थियों में रोजगार / स्वरोजगार प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों का %	बैंक द्वारा वित्तपोषित की संख्या	रोजगार %
01.04.2018-31.03.2019	257	6833	4202	**61.49**	2746	**66.00**
01.04.2011-31.03.2019	1985	52315	35581	**68.00**	16248	**47.00**

उत्तराखंड राज्य में आरसेटी संस्थानों द्वारा 61 प्रकार के उद्यम / रोजगार स्थापित करने की गतिविधियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने अनुमोदित किए गए हैं, जिसका विस्तृत विवरण आरसेटी की वेबसाइट (www.nacer.in) पर उपलब्ध है।

मार्च, 2019 की समाप्ति तक आरसेटी संस्थानों के बी.पी.एल. प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण पर व्यय की गयी राशि की प्रतिपूर्ति किया जाना निम्नवत लम्बित है :

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**प्रशिक्षणार्थियों की संख्या**	**लम्बित राशि**
1	2017-18	121	4.28
2	2018-19	1718	94.44
कुल योग		**1839**	**98.72**

आरसेटी संस्थान देहरादून, के भवन निर्माण हेतु पूर्व आबंटित / चयनित भूमि के स्थान पर नयी भूमि का आबंटन किया जाना लम्बित है।

दिनांक 22 मई, 2019 को प्रमुख सचिव (ग्राम्य विकास), उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में आरसेटी के अंतर्गत एक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी थी, जिसमें उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आरसेटी संस्थानों के विभिन्न मुद्दों के साथ-साथ Common Norms Notification (CNN) पर सभी आरसेटी द्वारा पुष्टि तथा आरसेटी भवन निर्माण में लम्बित स्थिति की समीक्षा की गयी।

एजेण्डा संख्या - 6 : <u>सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं के अंतर्गत गैर- निष्पादित आस्तियों का विवरण :</u>

उत्तराखंड राज्य में कार्यरत 12 बैंकों यथा भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, नैनीताल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया एवं इलाहाबाद बैंक द्वारा प्रदत्त आँकड़ों का विवरण निम्नवत है :

(₹ In Lacs)

Sl.	**Scheme**	**Total Outstanding**		**Gross NPA**		**GNPA %**
		No.	**Amt.**	**No.**	**Amt.**	
1	PMEGP	6219	16013.59	1077	1772.32	11.07
2	SCP	3703	9875.46	953	461.90	4.68
3	VCSGY	1835	11411.47	449	2636.41	23.10
4	NULM	2591	1372.46	350	171.05	12.46
5	NRLM	5311	2176.44	993	418.92	19.25
6	DIR	5860	1289.90	1058	114.47	8.87
7	MUDRA YOJANA	92278	182785.71	7591	8636.79	4.73
8	DEDS	5876	8545.41	1511	2064.17	24.16
9	STAND UP INDIA	1072	19792.47	44	543.75	2.75
10	PMAY	1713	24468.01	03	42.97	0.18
TOTAL		**126458**	**277730.92**	**14029**	**16862.75**	**6.07**

<u>सरकारी योजनाओं के अंतर्गत गैर- निष्पादित अस्तियों के विरुद्ध ऑन-लाइन वसूली प्रमाण पत्रों की स्थिति</u>

31 मार्च, 2019 तक लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों की स्थिति निम्नवत है : **" SLBC - 39A & 39B"**

(₹ करोड़ में)

	संख्या	**लम्बित राशि**
एक वर्ष से कम	14858	228.39
एक वर्ष से तीन वर्ष तक	16882	227.00
तीन वर्ष से पाँच वर्ष तक	5366	39.82
पाँच वर्ष से अधिक	4914	56.97
कुल लम्बित आर.सी.	42020	552.18
01.04.2018 से 31.12.2018 तक वसूली की स्थिति	8221	46.38

वित्तीय वर्ष 2018-19 में **8221** वसूली प्रमाण पत्रों में **₹ 46.38 करोड़** की राशि वसूल की गयी है।

एजेण्डा संख्या - 7 : **" SLBC - 47 "**

<u>किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से कृषि - अनुषंगी गतिविधियों में ऋण वितरण प्रगति</u>

कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों **(Allied Activities)** के अंतर्गत फूड एवं एग्रो प्रोसेसिंग, प्लांन्टेशन एवं बागवानी, डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी एवं भेड़ पालन, मत्स्य पालन आदि में वित्तीय वर्ष 2018-19 में बैंकों द्वारा ऋण वितरण की स्थिति निम्नवत है :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	**मद**	**कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों हेतु वितरित ऋण खातों की संख्या (2018-19)**	**कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों हेतु वितरित ऋण खातों में वितरित ऋण राशि**
1.	डेयरी	7052	106.54
2.	मुर्गी पालन	1300	43.23
3.	भेड़ / बकरी / सुअर पालन	3918	29.35
4.	प्लांन्टेशन एवं बागवानी	1099	32.09
5.	मत्स्य पालन	549	11.07
6.	फूड एवं एग्रो प्रोसेसिंग	1814	496.25
7.	स्टोरेज गोदाम	2547	59.46
8.	जल संसाधन	620	11.71
9.	भूमि विकास	1520	34.01
10.	कृषि यंत्रिकरण	3512	59.35
11.	अन्य (कृषि संबंधित क्रियाकलाप)	*74673	1354.07
कुल योग		**98604**	**2237.12**

* बैंकों से प्रदत्त सूचना के अनुरुप अन्य कृषि संबंधित क्रियाकलाप के अंतर्गत एग्री गोल्ड लोन, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कृषकों को वितरित गृह ऋण, माइक्रो फाइनेंस, ज्वाइंट लाइबलिटी ग्रुप, ट्रेक्टर ऋण व बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र की विभिन्न अनुषंगी गतिविधियों हेतु बनायी गयी ऋण योजनाओं में दिए गए ऋण शामिल हैं।

उत्तराखंड शासन द्वारा कृषि संबंधी अनुषंगी गतिविधियों में ऋण प्रवाह को बढ़ाने हेतु जिलेवार माइक्रो प्लान तैयार किया जा चुका है तथा इस विषयक पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भी कार्ययोजना तैयार की जा रही है। अत: शासन द्वारा दोनों कार्ययोजना का तुलनात्मक अध्ययन कर, योजना को राज्य में शीघ्र लागू करना प्रस्तावित है।

इस संबध में नाबार्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके स्तर पर एरिया डेवलपमेंट स्कीम का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। साथ ही अग्रणी जिला प्रबंधक और रेखीय विभागों को किसान उत्पादन संगठनों, किसान क्लब तथा स्वयं सहायता समूहों की सूचियाँ उपलब्ध करा दी गयी हैं, जिनको ऋण से जोड़ा जा सकता है ताकि इन लाभार्थियों द्वारा अपने काम और आय को बढ़ाया जा सके।

एजेण्डा संख्या - 8 : <u>केंद्र / राज्य सरकार की नीति</u> :

(क) नाबार्ड द्वारा फूड प्रोसेसिंग, फोरेस्ट्री, सोयल वाटर एवं क्रॉप मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्सिंग आदि क्षेत्र के विकास हेतु एक नेशनल सेक्टोरल पेपर तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रुप से छोटे एवं मझोले किसानों, कृषि पर आश्रित परिवारों की आय को बढ़ाना है। रेखीय विभाग सेक्टोरल पेपर में निहित बिंदुओं के आधार पर अपनी नीतियाँ तैयार कर सकते हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र संख्या FIDD.CO.FLC.2200/05.04.01/2018-19 दिनांक 11 अप्रैल, 2019, Interest Subvention Scheme - Monitoring of end use of crop loans में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सभी बैंकों द्वारा सुनिश्चित किया जाए।

(ग) <u>गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम (Gold Monetization Scheme)</u> :

गोल्ड मॉनिटाइजेशन योजना में धार्मिक संस्थाओं / समितियों के सहयोग व सहभागिता हेतु सचिव (संस्कृति, धर्मस्व, तीर्थाटन प्रबंधन एवं धार्मिक मेला अनुभाग), उत्तराखंड के सम्मुख योजना के प्रस्तुतीकरण हेतु आयोजित बैठक दिनांक 06 मई, 2019 को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गयी थी। अत: उक्त संबध में बैठक आयोजित करने हेतु तिथि निर्धारित की जानी अपेक्षित है।

उद्योग नीति, एम.एस.एम.ई., कृषि नीति में समय-समय पर होने वाले परिवर्तन / संशोधनों के संदर्भ में सदन को अवगत कराने का अनुरोध करते हैं।

(घ) <u>प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण वितरण की प्रगति समीक्षा :</u>

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार अल्पसंख्यक समुदाय को किए जाने वाले ऋण प्रवाह की प्रगति समीक्षा हेतु भविष्य में इसे राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड के नियमित एजेण्डे में रखा जाना है। अत: सभी बैंकों को निर्देशित किया जाता है कि वे उत्तराखंड राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति रिपोर्ट जून, 2019 से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि प्रगति रिपोर्ट सदन के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जा सके।

एजेण्डा संख्या - 9 : <u>डीसीसी / डीएलआरसी बैठक</u>

<u>जिला स्तरीय बिंदुओं के समाधान हेतु समीक्षा</u> :

इस संबंध में सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों को समुचित निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे अपने जिले की डी.सी.सी./ डी.एल.आर.सी. एवं बी.एल.बी.सी. की बैठकों का रोस्टर जारी करें तथा निर्धारित तिथि के अनुसार बैठक आयोजित करना सुनिश्चित करें। उक्त बैठक में यदि कोई अनिराकरणीय विषय **(Unresolved Issues)** हो तो राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

मार्च, 2019 त्रैमास की डी.सी.सी. / डी.एल.आर.सी. बैठकों की निर्धारित तिथि का विवरण :

क्र.सं.	जिला	निर्धारित तिथि	क्र.सं.	जिला	निर्धारित तिथि
1	पौड़ी	29.05.2019	**8**	बागेश्वर	11.06.2019
2	रुद्रप्रयाग	16.05.2019	**9**	टिहरी	30.05.2019
3	देहरादून	31.05.2019	**10**	उधम सिंह नगर	28.05.2019
4	पिथौरागढ़	28.05.2019	**11**	अल्मोड़ा	07.06.2019
5	चम्पावत	29.05.2019	**12**	हरिद्वार	05.06.2019
6	चमोली	28.05.2019	**13**	नैनीताल	28.05.2019
7	उत्तरकाशी	29.05.2019			

एजेण्डा संख्या - 10 : <u>एस.एल.बी.सी. ऑकड़े</u>

<u>वास्तविक एवं सही एस.एल.बी.सी. आँकड़ों का समय पर प्रेषण</u> :

समस्त अग्रणी जिला प्रबंधकों, रेखीय विभागों से समन्वय स्थापित कर लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का शत-प्रतिशत निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।

साथ ही शाखावार प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों की सूचना संबंधित बैंक नियंत्रकों को भी संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाए, जिससे कि उनके स्तर से प्रभावी अनुवर्ती की जा सके।

बैंक नियंत्रक अपनी नियंत्रणाधीन शाखाओं को प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर करवाना सुनिश्चित करें।

एजेण्डा संख्या - 11 :

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।

****